

FORM NO.III

फर्द अहकाम  
( नियम 28)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी मुकाम चित्तौड़गढ़ ( राज.)

मे.लालम बनाम रज्यलाल

किस्म मुकदमा प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 128 एल.आर.एक्ट. नम्बर 249/2021

तारीख हुक्म

हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज

10 <sup>12</sup>/<sub>21</sub>

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 रालेरेए के तहत प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत, दर्ज रजिस्टर हो।

प्रार्थी श्री / श्रीमती मे.लालम - शान्तिमाल

पिता श्री स्व. रज्यलाल जी धाकड P

निवासी- पालका तहसील व जिला चित्तौड़गढ़ ने ग्राम सह स्थित खातेदारी की आराजी नम्बर 379, 387, 391, 395, 400, 404

कुल कीता 6 कुल रकबा 0.6800 है0 की पत्थरगडी कराये जाने हेतु निवेदन किया। उक्त आराजी प्रार्थी के सह खातेदारी की आराजी में दर्ज रेकार्ड है।

अतः प्रार्थी की ग्राम पालका स्थित सह खातेदारी की भूमि आराजी नम्बर 379, 387, 391, 395, 400, 404

कुल कीता 6 रकबा 0.6800 है0 की बिना किसी कब्जे में दखलन्दाजी किये, सेंटलमेन्ट नक्शे अनुसार पत्थरगडी करने के आदेश दिये जाते हैं। पत्थरगडी का खर्चा प्रार्थी वहन करेगा। शुल्क 500.00 रुपये अक्षरे पालका जिला चित्तौड़गढ़ प्रार्थी से वसुल हो, पालना प्राप्त हो। पत्रावली निर्णित हो। पत्रावली पालना प्राप्ति पर पेश हो।

(सुन्दर विहोई)  
महाश्वेत कलेक्टर एवं  
उपखण्ड अधिकारी  
चित्तौड़गढ़ (राज.)



न्यायालय सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी चित्तौड़गढ़

क्रमांक / सरिश्ता / प्रा.पत्र 249/2021 / 259

दिनांक 10/12/21

तहसीलदार

चित्तौड़गढ़। बल्सी

विषय : पत्थरगढ़ी करने के सम्बन्ध में।

प्रकरण : 1 से 2 भदोलाल - शान्ति लाल S/O स्व. रम्यलाल जी थाकड़  
R/O पालका

— यात्रीगिर

- व नाम
- 1- रम्यलाल S/O मोहन जी थाकड़ R/O पालका
  - 2 से 4 भदोलाल - शान्ति लाल - जयराज S/O रम्यलाल थाकड़ R/O पालका
  - 5 - नानुराम S/O कालुलाल थाकड़ R/O पालका
  - 6 - मदनलाल S/O नाथु जी थाकड़ R/O पालका
  - 7 - भोहीलाल S/O चारा थाकड़ R/O पालका
  - 8 से 9 बहीलाल - मोहनलाल S/O किशना थाकड़ R/O पालका
  - 10 - शनीबहि चित्तौड़ स्व. रम्यलाल जी थाकड़ R/O पालका
  - 11 - लन्दुबहि W/O स्व. रम्यलाल जी थाकड़ R/O पालका

— विपहीगिर

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 एल.आर.एक्ट

उपरोक्त विषयाकित अनवान के प्रकरण में ग्राम पालका खतौनी सं. 469  
सम्बत् 2066-2069 में अकित आराजी नम्बर 379, 387, 391, 395, 400  
404 कुल कित 6 रकबा 0.6800 है. भूमि की  
नियमानुसार मौके पर विवाद रहित पाये जाने पर कब्जे में दखलन्दाजी किये बिना  
पक्षकारों को सूचना देकर सीमाकन (पत्थरगढ़ी) कर दिया जावे। खर्चा कमिश्नर  
शुल्क रूपये 500000 अक्षरे पांच लो खर मात्र प्रार्थी  
वहन करेगें। पालना रिपोर्ट न्यायालय में (15 दिवस में) शीघ्र भिजावे।

उपखण्ड अधिकारी  
चित्तौड़गढ़ (राज.)